




महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली  
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY  
पत्रांक : रू.वि./शि.प्रति/2014/215-230  
दिनांक: 03.11.2014

### कार्यालय आदेश

महिलाओं को कार्य स्थल पर लैगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशोध एवं प्रतिलोष) अधिनियम 2013 के अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर निम्ननुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1. प्रो० नीलिमा गुप्ता, अधिष्ठता छात्र कल्याण एवं प्रोफेसर, एनीमल साइंस विभाग। प्रीसाइडिंग आफिसर
2. प्रो० वी. पी. सिंह, चीफ प्राक्टर एवं प्रोफेसर प्लाण्ट साइंस विभाग। सदस्य
3. प्रो० ए. के. सिन्हा, संकायाध्यक्ष, मानविकी एवं उन्नत समाजिक विज्ञान संकाय एवं प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास विभाग। सदस्य
4. डा० अशोक कुमार, प्रवक्ता, विधि विभाग। सदस्य
5. इंजी० पूजा यादव, सी०एस०आई०टी० विभाग। सदस्य
6. डा० रजनी अग्रवाल, प्रीलिटिगेशन कोर्ट (एन०जी०ओ०) बरेली। सदस्य
7. श्रीमती सुमन सिंह, कनिष्ठ सहायक, गोपनीय विभाग। सदस्य

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपरोक्त समस्त पदाधिकारी।
2. समस्त संकायधक्ष/विभागाध्यक्ष।
3. समस्त सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव
4. समस्त वार्डन।
5. वित्त अधिकारी।
6. व्यक्ति सहायक कुलपति, कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
7. विश्वविद्यालय नोटिस बोर्ड।
8. प्रभारी वेबसाइट।

कुलसचिव